

परिपत्र


नगर विकास प्राधिकरणों एवं नगर विकास न्यासों की आवासीय योजनाओं में राजस्थान नगर रुधार न्यास (शहरी भूमि का निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 17 के अन्तर्गत आवंटित किये गये आवासों/भूखण्डों जिनकी सम्पूर्ण राशि आवंटियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं करवाये जाने से आवंटन स्वतः ही निरस्त हो गया है, ऐसे प्रकरणों में स्वतः निरस्त आवासों/भूखण्डों की बकाया राशि जमा कर आवंटन बहाल किये जाने हेतु निश्चित अवधि के पश्चात् प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार को भिजवाये जाते हैं।

पूर्व में राज्य सरकार द्वारा विभागीय परिपत्र क्रमांक प.3(1101)नविवि/3/2013 दिनांक 07.08.2014 द्वारा कमजोर व अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों को विकास प्राधिकरणों एवं नगर विकास न्यासों की आवास योजनाओं में से दिनांक 01.01.2006 के पश्चात् आवंटित किये गये आवासों/भूखण्डों जिनमें आवंटियों ने पूर्ण राशि जमा नहीं करवाई है, उनको रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से नोटिस देकर तथा सामान्य अपील अखबार के माध्यम से जारी कर एक महीने के भीतर निर्धारित राशि/ब्याज/शास्ति जमा कर भूखण्डों के आवंटन को बहाल किये जाने की शक्तियां जो राज्य सरकार के पास निहित थी, वह एक बार के लिए (on a one time basis) विकास प्राधिकरणों व नगर विकास न्यासों को दी गयी थी।

अब राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णयानुसार दिनांक 01.01.2001 के पश्चात् आवंटित किये गये आवासों/भूखण्डों (ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी.) जिनमें आवंटियों द्वारा पूर्ण राशि जमा नहीं करायी गई है, ऐसे आवासों/भूखण्डों हेतु नियमानुसार देय राशि जमा कर भूखण्डों के आवंटन को बहाल किये जाने की शक्तियां जो राज्य सरकार के पास निहित हैं, वह शक्तियां दो माह के लिए एक बारीय (on a one time basis) विकास प्राधिकरणों व नगर विकास न्यासों को प्रदान किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त दो माह की अवधि की गणना परिपत्र जारी होने की दिनांक से मानी जावेगी। यदि आपंटी अपने आवंटित भूखण्डों/आवासों की राशि जमा करवाकर नियमितिकरण हेतु आवेदन नहीं करता है तो ऐसे सभी आवासों/भूखण्डों का कब्जा प्राप्त कर नीलामी के जरिये निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

 20/7/15
(राजेंद्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय